अपील सूचना अधिकार संख्या 118/2020 (RCMS 2020/00204) अहमद खां पुत्र मुस्ताक खां निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 85598–23843) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

20.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से श्री सुखविन्द्र सिंह गिल, अधिवक्ता उपस्थित हुआ और एपीरियंस ऑफ मीमो पेश किया। अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक रसद/ सू.क.अ./2020/11431 दिनांक 07.10.2020 से जवाब प्राप्त हुआ, शामिल मिसल है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उसने आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके एक बिन्दु की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हुए कानूनी दण्ड देने तथा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अहमद खां ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> **बार कोड संख्या 006445000031 ग्राम पंचायत मिर्जेवाला श्रीगंगानगर के राशन कार्ड में 21.08.2020 तक राशन मिला है उसके बाद नहीं मिला न मिलने की रिपोर्ट किसने, किसने शिकायत की, किस कारण गेहूँ नहीं मिला की प्रमाणित कॉपी, रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी, बिन्दु डिपू होल्डर मिर्जेवाला की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद / सू.क.अ. / 2020 / 10885 दिनांक 16.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि आपके द्वारा दिनांक 01.09.2020 को प्रस्तुत प्रा.प. में निम्नलिखित सूचना चाही गई है :
>
> **बार कोड संख्या 006445000031 ग्राम पंचायत मिर्जेवाला श्रीगंगानगर के राशन कार्ड में 21.08.2020 तक राशन मिला है उसके बाद नहीं मिला न मिलने की रिपोर्ट किसने, किसने शिकायत की, किस कारण गेहूँ नहीं मिला की प्रमाणित कॉपी, रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी, बिन्दू डिपू होल्डर मिर्जेवाला की रिपोर्ट।**
>
> इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गइ सूचना प्रश्नात्मक है। अतः आपका प्रार्थना पत्र आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत खारिज की जाती है।
>
> इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।
>
> -sd-
> जिला रसद अधिकारी
> श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 16.09.2020 को जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है**, सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर